न्यायालय भू प्रबन्ध **अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा**
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/145/2022

उनवान

1. लादू लाल प्राकृतिक पिता शेषु कलाल मुतबन्ना मोती कला, निवासी–केमरी, तहसील–करेडा, जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती लादी पुत्री मोती कलाल, निवासी–केमरी, तहसील–करेडा, जिला भीलवाड़ा।

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, करेडा के
प्रकरण संख्या 292/2017 निर्णय एवं डिकी दिनांक 4.10.2021

अभिभाषक :

1. **श्री राकेश जैन , अधिवक्ता अपीलार्थी**
2. **श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी**

आदेश

दिनांक 11.02.2026

अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत्त कर निवेदन किया कि ग्राम केमरी, पटवार हल्का आमदला, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की निम्नलिखित कृषि आराजियात स्थित है –

आराजी नम्बर	**रकबा**
752	02 बिस्वा
753	1 बीघा 01 बिस्वा
754	16 बिस्वा
755	1 बीघा 11 बिस्वा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

756	15 बिस्वा
757	19 बिस्वा
758	05 बिस्वा
787/2	02 बिस्वा
1091/787	02 बिस्वा
कुल किता 9	कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा

उक्त वर्णित आराजियात में वादीया का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

2. वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात का राजस्व रेकॉर्ड में विभाजन नही होने से पक्षकारों के मध्य मेड़, पाली की घास काटने व भूमि का विकास करने व आराजी का लगान आदि जमा कराने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है तथा वादीया ने प्रतिवादी संख्या 01 को कई बार कहां कि वो उक्त वर्णित आराजियात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करावें लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 तैयार नही हुये व अंतिम बार वादीया ने दिनांक 01.06.2016 को प्रतिवादी संख्या 01 को कहां कि वो उक्त वर्णित आराजियात को सहमति से तहसील कार्यालय में चलकर हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करावें लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने कोई ध्यान नही दिया इस कारण से वादीया को यह वादपत्र बाबत् विभाजन का पेश करने की नौबत पेश आई है।

3. वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 01-06.2016 से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

4. अतः निवेदन है कि वाद अनुसार विभाजन की डिकी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 पारित फरमाई जाकर वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात किता 9 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करा वादीया का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवा

हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रेकॉर्ड में अलग–अलग कायम कराया जावें।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.10.2021 को पारित की गई व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनीं गई।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 96 जाब्ता दीवानी सपठित आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना जल्दबाजी में उक्त प्रकरण निस्तारित कर दिया। अपीलार्थी स्व. मोती जी का गोदपुत्र होकर उनकी सम्पदाओं पर बहैसियत उनके जीवनकाल से काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा मोती जी की विरासत से उक्त वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थी में निहित हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी के हक अधिकार निहित है। जिस हेतु अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र को निस्तारित किये बिना ही जल्दबाजी में आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया, उक्त निर्णय एवं डिक्री से अपीलार्थी के हक अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। अधिनस्थ न्यायालय नें अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया, जिससे अपीलार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है, जिससे अपीलार्थी के सुनवाई का अवसर देते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिलाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

8. अतः निवेदन है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि उक्त निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थी की अनुपस्थिति में कारित की गयी थी. जिससे अपीलार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं हो पाई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 09.05.2022 को अपीलार्थी व उसके पिता को बताया कि उक्त वादग्रस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आराजियात के बंटवाडे का निर्णय हो चुका है एवं बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करना है, जिस पर अपीलार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई. इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 10.05.2022 को नकल हेतु आवेदन कर दिया, जिस पर उक्त नकलें दिनांक 16. 05.2022 को अपीलार्थी को प्राप्त हुई, जिससे यह अपील मिलने जानकारी एवं मिलने नकल निर्णय से अन्दर अवधि में प्रस्तुत है।

10. प्रकरण स्थावर व मूल्यवान सम्पदा से सम्बन्धित है। विलम्ब का कारण समुचित एवं पर्याप्त है, जिससे विलम्बित अवधि दिनांक 04.10.2021 से दिनांक 09.05.2022 तक की अवधि कण्डोन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अपीलार्थीगण ने जानबूझकर विलम्ब से अपील प्रस्तुत नहीं की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

11. अतः निवेदन है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर विलम्बित अवधि दिनांक 04.10.2021 से दिनांक 09.05.2022 तक की अवधि कण्डोन की जाकर अपील को अन्दर अवधि शुमार की जावे।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है उनका यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी/ वादिया ने जानबूझकर अपीलार्थी को न्याय से वंचित करने के दुराशय से अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किया था। अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण की जानकारी होने पर अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में आदेश 01 नियम 10 एवं धारा 151 जा.दी. का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, जिसके जवाब हेतु पत्रावली में कार्यवाही लम्बित थी, जिस हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2021 को दिनांक 27.12.2021 की पेशी दी गयी थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प आमदला में तलब कर ली गयी, जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गयी, जिससे अपीलार्थी उक्त कैम्प में उपस्थित नहीं हो पाया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थनापत्र के लम्बित होते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदत्त किये बिना ही प्रकरण में प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो विधि विपरित होने से निरस्तनीय है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मोती आत्मज अमरा जी कलाल के कोई जायन्दा पुरुष संतान नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
[illegible]

थी, जिससे उन्होंने अपने जीवनकाल में ही जाति रस्म रिवाजानुसार अपने भाई शेषु कलाल के लड़के मुझ अपीलार्थी को गोद में बैठाकर, गुड पताशे बांटकर गोद रखा, जिसका इन्द्राज बड्वा की पोथी में भी हो रखा है। वक्त गोद से ही अपीलार्थी श्री मोती जी के साथ ही निवासरत रहा और मोती जी की समस्त सम्पदाओं पर उनके जीवनकाल से ही बतौर गोदपुत्र काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। मोती जी के देहान्त के पश्चात उनके समस्त सामाजिक कार्यक्रम भी अपीलार्थी ने ही सम्पादित किये व मोती जी की पगडी भी जाति–समाज, पंचों व रिश्तेदारों के समक्ष अपीलार्थी के बंधवाई गयी। अपीलार्थी ने ही स्व. मोती जी का पिण्ड दान किया। समस्त जाति समाज रिश्तेदारों एवं गांव में अपीलार्थी को स्व. मोती जी का गोदपुत्र होना माना व जाना जाता है।

14. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी / वादिया जो कि मोती जी की पुत्री है, के सभी मायरे मुकलावे किये एवं अपने सभी कर्त्तव्यों का निवर्हन किया। प्रत्यर्थी / वादिया ससुराल रहती है तथा उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात पर प्रत्यर्थी / वादिया का कभी कब्जा नहीं रहा है। अपीलार्थी कमा खाने बाहर गया हुआ था, जिससे प्रत्यर्थी / वादिया ने जानबूझकर उक्त तथ्यों को छिपाते हुए मोती जी कलाल के नाम की उक्त वादग्रस्त आराजियात को राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलाभगती करके तन्हा अपने (प्रत्यर्थी / वादिया) के नाम पर इंतकाल खुलवा लिया, जो सरासर विधि विरूद्ध है तथा उक्त वादग्रस्त आराजियात मोती जी की विरासत से तन्हा वादिया के नाम पर दर्ज हो जाने से अपीलार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकुल असर पड रहा है। वादिया ने उक्त आराजियात तन्हा उसके नाम पर दर्ज होने का नाजायज लाभ उठा तथ्यों को छुपाते हुए विभाजन बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर दिया, जिस पर अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों की जानकारी देते हुए पक्षकार संयोजित करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदत्त किये जाने के बाबत् आवेदनपत्र प्रस्तुत कर दिया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली गहराई से अवलोकन व मनन किये बिना ही उक्त आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो अपास्त होने योग्य है।

15. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी मोती जी का गोदपुत्र होकर व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में आता है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक पक्षकार को अपना पक्ष रखने का विधिक अधिकार है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदत्त नहीं किया एवं अपीलार्थी के विधिक अधिकारों का हनन किया है, जिससे भी उक्त आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपास्त होने योग्य है।

16. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पत्रावली में कोई भी प्रार्थनापत्र लम्बित होने पर नियमानुसार प्रथमतः उक्त प्रार्थनापत्र को निर्णित किया जाना कानूनन अनिवार्य है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विधि की मंशा को समझे बिना ही उक्त आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो अपास्त होने योग्य है।

17. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व अभियान का उद्देश्य उभयपक्षों की उपस्थिति में पक्षकारों के मध्य आपसी समझाईश से प्रकरण का राजीनामे से निस्तारण करना होता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभियान की मंशा को समझे बिना केवल वाह–वाही लेने के आशय से उक्त प्रकरण में उक्त आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित फरमा दी, जो अपास्त होने योग्य है।

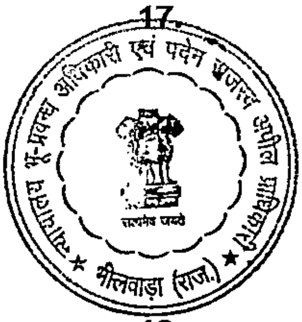

18. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया की पालना किये बिना उक्त आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो अपास्त होने योग्य है।

19. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अस्पष्ट एवं मोगम होने से अपास्त होने योग्य है।

20. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी / प्रतिवादी संख्या–2 शेषु जी वृद्ध होकर अस्वस्थ रहते हैं, जिससे अपील प्रस्तुत करते समय उपलब्ध नहीं होने से उन्हें बतौर प्रत्यर्थी प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या–2 शेषु जी कलाल के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

21. अतः निवेदन है कि यह अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 04.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

10.2021 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामले को पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को अपनी प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदत्त कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करे।

22. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 96 जाब्ता दीवानी सपठित आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

23. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। अपीलार्थी नेअपील विलम्ब सेप्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक नहीं है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण अंकित किया जाना अनिवार्य होता है। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण दर्शाया है वह युक्तियुक्त नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज करते हुए अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते

24. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण खाता विभाजन होने का है । जिसमें अपीलाण्ट के हित निहित नहीं थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

25. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 जाब्ता दीवानी सपठित आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

26. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि उक्त निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थी की अनुपस्थिति में कारित की गयी थी. जिससे अपीलार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं हो पाई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 09.05.2022 को अपीलार्थी व उसके पिता को बताया कि उक्त वादग्रस्त आराजियात के बंटवाडे का निर्णय हो चुका है एवं बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करना है, जिस पर अपीलार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई. इस पर अपीलार्थी ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिनांक 10.05.2022 को नकल हेतु आवेदन कर दिया, जिस पर उक्त नकलें दिनांक 16.05.2022 को अपीलार्थी को प्राप्त हुई, जिससे यह अपील मिलने जानकारी एवं मिलने नकल निर्णय से अन्दर अवधि में प्रस्तुत है।

27. प्रकरण स्थावर व मूल्यवान सम्पदा से सम्बन्धित है। विलम्ब का कारण समुचित एवं पर्याप्त है, जिससे विलम्बित अवधि दिनांक 04.10.2021 से दिनांक 09.05.2022 तक की अवधि कण्डोन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अपीलार्थीगण ने जानबूझकर विलम्ब से अपील प्रस्तुत नहीं की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

28. अतः निवेदन है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर विलम्बित अवधि दिनांक 04.10.2021 से दिनांक 09.05.2022 तक की अवधि कण्डोन की जाकर अपील को अन्दर अवधि शुमार की जावे।

29. प्रत्यर्थी ने रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। जिससे अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

30. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया। बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । रेकार्ड अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेण्डिंग था व जवाब के लिए नियत था। जवाब का अवसर दिया जाकर आगामी तिथी 27.12.2021 नियत थी। लेकिन इससे पूर्व दिनांक 4.10.2021 को लोक अदालत में प्रकरण को बिना सहमति के निस्तारित कर दिया । जबकि विधिक प्रक्रिया के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी कानिर्धारण होकर अग्रिम कार्यवाही होती है। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया । पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.10.2021 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे पक्षकारो को सुनकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का निर्धारण कर प्रकरण में जवाब का अवसर प्रदान कर तनकी का निर्माण कर, साक्ष्य का उसमुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत विवेचन के साथ विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 3/5/26 को उपस्थित रहे।

31. आदेश आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा